पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर

निगरानी प्रकरण क्र. ...../2014

श्रीमान सदस्य महोदय, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर के न्यायालय में

मनोज सक्सेना पिता श्री शशिकान्त सक्सेना
निवासी–170, भाग्यश्री कॉलोनी,
खजराना, इन्दौर (म.प्र.)

.....प्रार्थी

विरुद्ध

म.प्र. शासन द्वारा तहसीलदार नजुल,
तहसील व जिला इन्दौर (म.प्र.)

.....प्रतिप्रार्थी

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भु–राजस्व संहिता 1959

श्रीमान तहसीलदार महोदय, नजुल तहसील व जिला इन्दौर के द्वारा प्रकरण कमांक 124/अ–68/2010–11 में दिनांक 31/12/2013 को आदेश से असंतुष्ट होकर यह निगरानी निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत है :–

।। प्रकरण के तथ्य ।।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि राजस्व निरीक्षक नजुल के द्वारा एन–7 फार्म में अतिकमण की रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के आधार पर प्रतिप्रार्थी के द्वारा ग्राम खजराना स्थित सर्वे नम्बर 6/1 पैकि 30 फीट बाय 50 फीट कुल क्षेत्रफल 1500 वर्गफीट की शासकीय भूमि पर अतिकमण कर मकान निर्माण किये जाने बाबद् कारण बताओं सूचना पत्र प्रेषित किया। यद्यपि उक्त भवन का भूखण्ड प्रार्थी की पत्नि श्रीमती सीमा सक्सेना के नाम पर कय किया है तथा नगर निगम एवं म.प्र. विद्युत मंडल में भी उक्त भूखण्ड का स्वामित्व श्रीमती सीमा सक्सेना का होना दर्शाया है। अतिकमण का सूचना पत्र प्रार्थी के नाम से प्रेषित होने के कारण प्रार्थी क द्वारा प्रकरण में सूचना पत्र का विधिवत् उत्तर प्रस्तुत किया जाकर प्रार्थी के द्वारा सर्वे नम्बर 6/1 की भूमि पर कोई निर्माण कार्य ना किया होना दर्शाते हुए प्रार्थी का मकान सर्वे नम्बर 6/2 जो निजी भूमि स्वामित्व की भूमि होकर प्रार्थी द्वारा विधिवत् रुप से उसके पूर्व हितधारी से कय करने के आधार पर सर्वे नम्बर 6/2 के भाग पर निर्माण किया गया होना दर्शाया है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 297-II/14 जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02.04.2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। दिनांक 25.09.2018 से भू-राजस्व संहिता संशोधन 2018 प्रभावशील हो जाने से अब तहसील न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश की पुनरीक्षण का निराकरण मण्डल द्वारा नहीं किया जाकर कलेक्टर द्वारा किया जाना है। अत: संहिता की संशोधित धारा 50 सहपठित धारा 54(a) के तहत यह प्रकरण निराकरण हेतु कलेक्टर, इंदौर को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 30.05.2019 को सुनवाई हेतु कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों। उभय पक्ष सूचित हो। अध्यक्ष	